न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2026-153RAAJodhpur RTA225 Anil Bishnoi ors Vs Thanaram etc

01. अनिल विश्नोई पुत्र श्री ओमप्रकाश
02. तेजाराम पुत्र श्री ओमप्रकाश
03. सुरता पुत्री श्री ओमप्रकाश
04. मीमादेवी पत्नी श्री ओमप्रकाश
05. गजाराम पुत्र श्री प्रेमाराम
06. सोहनलाल पुत्र श्री प्रेमाराम
सभी जाति विश्नोई निवासी भगतासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. थानाराम पुत्र श्री किस्तुरराम
2. प्रहलादराम पुत्र श्री किस्तुरराम
3. रमली पुत्री श्री किस्तुरराम
सभी जाति विश्नोई निवासी भगतासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
4. ग्राम पंचायत खेजडली कलां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
5. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार लूणी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 01 अप्रैल 2026 सहायक कलक्टर लूणी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 153/2025(2025/333) थानाराम व अन्य बनाम अनिल विश्नोई इत्यादि

उपस्थित-
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री ईश्वरसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01
उभय पक्षकारान् स्वयं उपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 22 मई 2026

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 153/2025(2025/333) अनवान थानाराम व अन्य बनाम अनिल विश्नोई इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 01 अप्रैल 2026 के खिलाफ आलोच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 21 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 156 रकबा 3.4398 हैक्टेयर ग्राम भगतासनी तहसील लूणी में आवागमन हेतु अपीलांट्स के खातेदारी खेत 136 रकबा 1.5621 हैक्टेयर में सें रास्ता चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 01 अप्रैल 2026 के जरिये रेस्पोंडेंट संख्या एक से तीन का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलोच्य अपील प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। प्रत्यर्थीगण जरिये सावधान पत्र उपस्थित रहे। उभय पक्षकारान् की ओर से संयुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा प्रस्तुत कर माफिक राजीनामा अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किये जाने पर उभय पक्ष की राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में अपील पर बहस सुनी गई।

उभय पक्षकारान् द्वारा अपनी संयुक्त बहस में निवेदन किया कि अपीलांट्स एवं प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 के मध्य विवादित रास्ते के बाबत राजीनामा हो गया है। राजीनामें अनुसार रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि देना तय किया गया है, जिसका नजरी नक्शा राजीनामा के साथ सलंग्न है। संलग्न राजीनामें के अनुसार ही पक्षकारान वर्तमान अपील का निस्तारण करवाने पर सहमत है। उक्त राजीनामा दोनों पक्षकारान् की सहमति से गांव के मौजिज लोगो की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थिति में लोक अदालत को भावना से लिखा गया है, जिसको दोनों पक्ष स्वीकार करते है।

अंत में उभय पक्षकारान् ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट माफिक राजीनामा स्वीकार फरमायी जावे एवं राजीनामा के साथ सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार रास्ते का आदेश पारित फरमाया जावे एवं प्रतिकर राशि राजीनामा की शर्तों अनुसार भूमि के बदले भूमि दिये जाने का आदेश फरमावे।

दौराने बहस अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थीनी सुरता पुत्री ओमप्रकाश वर्तमान में राज्य से बाहर है तथा उसके द्वारा दूरभाष पर संवाद कर उक्त राजीनामा में अपनी सहमति प्रदान की है तथा उन्हें उक्त राजीनामा निष्पादित करने हेतु निष्पादित किया गया है तथा भविष्य में अपीलार्थीनी अपने भाईयों के साथ उक्त राजीनामा से पाबंद रहेगी।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उभय पक्षकारान् द्वारा अदालत हाजा के समक्ष उपस्थित होकर संयुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामा के साथ सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार खसरा नंबर 136 में से 20 चौड़ा रास्ता दिये जाने में सहमति प्रदान की गई है तथा रास्ते की प्रतिकर राशि भूमि के बदले भूमि दिये जाने में भी अपनी सहमति प्रदान की गई है। रेस्पोडेंट्स द्वारा उक्त रास्ते की एवज में खसरा नंबर 156 में से रकबा 0.1161 हैक्टेयर भूमि नजरी नक्शे में दर्शित अनुसार अपीलांट्स के खाते में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है। साथ ही अपीलांट्स द्वारा अपने खेत खसरा नंबर 156 में से भी सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार रकबा 0.0093 हैक्टेयर भूमि रास्ते के रूप में घोषित किये जाने का निवेदन किया गया है। अपीलार्थीनी सुरता की ओर से उक्त राजीनामा में उनके अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया द्वारा भाग लिया गया है तथा राजीनामा की सभी शर्तें अपीलार्थीनी सुरता को स्वीकार होने के कथन किये गये है। लिहाजा उभय पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्याय हित में स्वीकार किया जाकर उक्त सहमति के परिप्रेक्ष्य अपील का निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट माफिक राजीनामा स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 153/2025(2025/333) अनवान थानाराम व अन्य बनाम अनिल विश्नोई इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 01 अप्रैल 2026 को अपास्त किया जाकर राजीनामा के साथ सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार खसरा नंबर 136 कुल रकबा 1.5621 हैक्टेयर में से रकबा 0.1161 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 156 रकबा 3.4398 हैक्टेयर में से रकबा 0.0093 हैक्टेयर भूमि 20 फीट चौड़ाई अनुसार कटाणी रास्ता के रूप में घोषित की जाती है। तहसीलदार लूणी सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार खसरा नंबर 136 में से रास्ते के रूप में काम आयी भूमि के रकबे के बराबर भूमि यानि 0.1191 0.1161 हैक्टेयर भूमि खसरा नंबर 156 में से कम करते हुए नजरी नक्शा में दर्शित स्थान पर अपीलांट्स के नाम दर्ज करे। साथ ही तहसीलदार लूणी को निर्देश दिये जाते है कि वह रेस्पो. संख्या एक से तीन द्वारा पूर्व में जमा करवायी गई प्रतिकर राशि रेस्पो. संख्या एक से तीन को पुनः लौटावे। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर